उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मुटेशन रिविजन वाद सं0–39/2021–22

सत्यनारायण पासवान

बनाम्

मो0 सुदामा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 1/11/23

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता सत्य नारायण पासवान, पे0–स्व0 सुकदेव हाजरा, सा0–कपेटा, थाना–बसंतराय, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन अपील वाद सं0–07/2020–21 के आदेश दिनांक–14.09.2021 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने मुटेशन अपील वाद सं0–07/2020–21 के आदेश दिनांक–14.09.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0–09/2016–17 में दिनांक–14.05.2016 के पारित आदेश के द्वारा किये गये नामांतरण को रद्द किया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कपेटा नं0–82, जमाबंदी सं0–71, दाग नं0–112 रकवा 01–04–19 धुर एवं दाग नं0–493 ,रकवा 04–05–15 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वंशी दुसाध चौकीदार, पे0–दासु दुसाध के नाम से दर्ज है। वंशी दुसाध चौकीदार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पंचकौड़ी हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं चौकीदार के रूप में उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर दखलकार हुए। पंचकौड़ी हाजरा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुकदेव हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं शांतिपुण ढंग से चौकीदारी जागीर जमीन पर दखलकार हुए। उक्त सुकदेव हाजरा की भी मृत्यु हो गयी है एवं उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सत्यनारायण पासवान वर्ष 1998 में चौकीदार नियुक्त हुए तथा मौजा–कपेटा के जमाबंदी सं0–71 की चौकीदारी जागीर पर दखलकार हुए। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता को चौकीदार को वेतन प्रारम्भ होने के पूर्व वर्ष 1998 में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। उस समय चौकीदार को चौकीदारी जागीर जमीन उनकी सेवा के बदले में दिया गया

था एवं तब से रिविजनकर्त्ता चौकीदार है तथा उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता अपने क्रम के अंतिम चौकीदार है, जिनको चौकीदारी जागीर जमीन उनके सेवा के लिए दिया गया था। इसलिए चौकीदारी जागीर जमीन पर रिविजनकर्त्ता का ही हक एवं अधिकार बनता है। उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर सुकदेव हाजरा के अन्य उत्तराधिकारी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा उक्त जमीन पर उनलोगों का दखल कब्जा भी नहीं है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता का उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा होने के कारण रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमीन का नामांतरण के लिए अंचल अधिकारी, पथरगामा के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने मुटेशन केश नं0–09/16–17 संधारित कर नामांतरण की उचित प्रक्रिया अपनाकर रिविजनकर्त्ता के नाम से नामांतरण किया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने उक्त नामांतरण के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–7/2020–21, जो 03 वर्ष 03 माह 17 दिन बिलम्ब से दायर किया था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अवैध तरीके से अपने आदेश दिनांक–14.09.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण आदेश को रद्द किया है। चूँकि विचाराधीन जमीन रिविजनकर्त्ता के चौकीदारी जागीर जमीन है एवं उक्त जमीन का बँटवारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, पथरगामा के मुटेशन केश नं0–09/16–17 में दिनांक–14.05.2016 के पारित आदेश को यथावत रखने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कपेटा नं0–82, जमाबंदी सं0–71 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वंशी दुसाध चौकीदार के नाम से चौकीदारी जागीर के रूप में दर्ज है। खतियानी चौकीदार वंशी दुसाध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पंचकौड़ी हाजरा मौजा–कपेटा का चौकीदार नियुक्त हुए एवं उक्त चौकीदारी जागीर पर दखलकार होकर कृषि कार्य करने लगे। पंचकौड़ी हाजरा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुकदेव हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं चौकीदारी जागीर पर दखलकार होकर कृषि कार्य करने लगे। उनका आगे कथन है कि उक्त

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:46:36 +05:30
Location: 192.168.1.37